



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
U. P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928



संख्या—63 —अ०प्र०—०७/पाकालि/२५—२५—अ०प्र०—०७/२४

दिनांक : 13/01/2025

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत अवर अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) की सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर प्रोन्नति हेतु दिनांक 13.09.2024 को सम्पन्न हुई विभागीय चयन समिति की बैठक में मोहरबन्द / मोहरबन्द पुनर्वैधिकृत किये गये प्रकरणों में से श्री विनोद कुमार प्रभाकर (वरिक्र०—2012/CEH/340), अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नगत प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण को "दोषमुक्त" करते हुए समाप्त किये जाने के दृष्टिगत इनका मोहरबन्द लिफाफा खोलकर इन्हें अस्थायी / स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई० एण्ड एम०) के पद पर नोशनल प्रोन्नत किया जाता है तथा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निम्नवत तालिका के स्तम्भ—५ में उल्लिखित निगम को तैनाती हेतु आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम / जन्मतिथि / गृह जनपद / SAP ID / वरिक्र० सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थान	आवंटित अभिज्ञान सं०	प्रोन्नति पश्चात् तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम / इकाई
१	२	३	४	५
१	विनोद कुमार प्रभाकर/चन्द्रपाल सिंह/ महामाया नगर/ 16.07.1989 / 11001120 / 2012/CEH/340	न०वि०वि०ख०—प्रथम, अलीगढ़।	2024163	पश्चिमांचल वि०वि०नि०लि०

2. परिषदादेश सं०—१८४९—काविनी / राविप—२९ / ९७—१४—काविनी / ८७, दिनांक 08.10.1997 के प्रस्तर—७(क) में निहित प्राविधानानुसार श्री विनोद कुमार प्रभाकर को उनसे चयनित आसन्न कनिष्ठ श्री विकास गुप्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति आदेश सं०—२३०२—अ०प्र०—०७/पाकालि/२४, दिनांक 09.11.2024 के निर्गमन की तिथि अर्थात् दिनांक 09.11.2024 से नोशनल प्रोन्नत माने जाने के आदेश किये जाते हैं।
3. उपरोक्त प्रोन्नत कार्मिक पूर्व परिषदादेश सं०—४८५—ए—आर/राविप—०१—२८—एआर/८९, दिनांक 27.03.89 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।
4. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त सहायक अभियन्ता (प्रोन्नत) की तैनाती में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
5. सहायक अभियन्ता (वै० एवं यां०) के पद पर प्रोन्नत हुए अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के नियंत्रक अधिकारी, उन्हे अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के पद से कार्यमुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि –
 - (क) अवर अभियन्ता निलम्बित न हो।
 - (ख) अवर अभियन्ता (वै० एवं यां०) के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।
6. यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में काठज्ञाप में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
7. कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०—२७७७—ज०श० प्र०स०० एवं प्रशि०—०१/२०२३, दिनांक 20.11.2023 के अनुपालन में सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उपरोक्त अभियन्ताओं की Joining/Relieving ई०आर०पी० प्रणाली पर ही किया जाना है।

क्रमसं... 2

8. वर्तमान चयन वर्ष में इस प्रोन्नति आदेश के निर्गमन की तिथि तक किसी अवर अभियन्ता के विरुद्ध लम्बित अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण में वृहद दण्ड प्रदान किया गया है तो उस अवर अभियन्ता की सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति स्वभैव निरस्त मानी जायेगी।
9. यह प्रोन्नति इस आधार पर दी जा रही है कि सम्बन्धित डिस्काम/इकाई द्वारा उपरोक्त अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही/सतर्कता जॉच आदि लम्बित नहीं सूचित है अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त अवर अभियन्ता की प्रोन्नति निरस्त मानी जाएगी व अलग से आदेश किया जायेगा।
10. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत उक्त अभियन्ता यथा शीघ्र अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
11. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

अध्यक्ष

संख्या :-63 -आ०प्र०-०७ / पाकालि / २०२४ / तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल / पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा/मेरठ।
3. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारी का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
5. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
6. उपमहाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. उप सचिव (आ०प्र०-०३/०४/गोपन), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ०प्र०पा०का०लि० शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अनुभाग अधिकारी (आ०प्र०-०३/०४), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
11. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि प्रोन्नत हुए अभियन्ता को अवर अभियन्ता के पद से कार्यमुक्त करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं तदक्रम में उनकी सेवा पुस्तिका प्राथमिकता से पूर्ण कराकर लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
12. उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारी/प्रोन्नत अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने सम्बन्धी प्रमाणक पत्र (चार्ज सर्टीफिकेट) उप सचिव (०३/०४), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन (ई०मेल—ds.0304@uppcl.org/j.s.02@uppcl.org) एवं लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ (ई०मेल—ao.vetanlekha@uppcl.org) को अवश्यमैव उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
13. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आङ्गा से,


(हिमांशु वार्ष्ण्य)
उप सचिव (०७)